गाँधी–इरविन समझौता एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

डॉ॰ कमलाकान्त सिंह [1]

[1] प्राचार्य, इतिहास विभाग, शिवपूजन शास्त्री समता महाविद्यालय, दिनारा (रोहतास), (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा) (बिहार)

ABSTRACT

Keywords:

प्रथम गोलमेज सम्मेलन से ब्रिटिश सरकार यह समझ गयी थी कि कांग्रेस से बात किए बिना भारतीय समस्या का आधार किया जाना सम्भव नहीं हैं । अतः वायसराय लार्ड इरविन के प्रयत्नों से कांग्रेस के सभी नेता 26 जनवरी, 1931 ई॰ को रिहा कर दिया गए । गाँधीजी व इरविन के मध्य समझौता कराने के लिए श्री तेज बहादुर सप्रू व श्री जयकर ने मध्यस्थ का कार्य किया । गाँधीजी व इरविन के मध्य पत्रा–व्यवहार हुआ । तत्पश्चात् 17 पफरवरी, 1931 से 4 मार्च तक समय–समय पर दोनों में वार्ता होती रही व अन्त में 4 मार्च की रात को दोनों में समझौता हो गया, जिस पर 5 मार्च को हस्ताक्षर किए गए । इस समझौता के द्वारा सरकार ने स्वीकार किया कि वह सभी अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी तथा अहिंसक आन्दोलन करने वाले सभी कैदियों को रिहा कर देगी । इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि विदेशी वस्तुओं व नशे की वस्तुओं की दुकानों पर भारतीयों को धरना देने का अधिकार होगा तथा समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिए नमक लेने दिया जाएगा ;उल्लेखनीय है कि नमक कर नहीं हटाया गया थाद्ध । महात्मा गाँधी ने भी समझौते के अन्तर्गत अनेक बातें स्वीकार कींऋ जैसे–सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करना, पुलिस की क्र्रता की जांच की मांग को त्यागना, सभी बहिष्कारों का त्याग तथा यह कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी । गाँधी–इरविन समझौते को कांग्रेस की सहमति प्रदान करने के लिए 29 मार्च, 1931 ई॰ को करांची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल थे । इस समझौते की पृष्टि का प्रस्ताव पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जिसे कांग्रेस ने पारित कर दिया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया।[1]

इस समझौते की भी कापफी आलोचना की गयी, क्योंकि एक बार पिफर आन्दोलन को ऐसे समय पर रोक दिया गया था जबकि वह शिखर पर था । पं॰ जवाहर लाल नेहरू व सुभाष चन्द्र बोस इसके घोर विरोधी थे क्योंकि भारत को इससे कोई लाभ नहीं हुआ था । यहाँ तक कि नमक कर भी नहीं हटाया गया था, किन्तु कांग्रेस की एकात भंग न हो जाए, इस कारण इस समझौते का कांग्रेस के अधिवेशन में ने विरोध न कर सके । नेहरूजी ने तो स्वयं स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में इस समझौते का प्रस्ताव रखने में उन्हें फ्सख्त मानसिक कशमकश और शरीरिक कलेश का अनुभव करना पड़ा था ।य निःसन्देह नेहरूजी व सुभाषचन्द्र बोस ने उस समय खुलकर विरोध न करके अपनी राजनीतिक परिपक्वता व दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया अन्यथा कांग्रेस में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी । जन साधारण ने भी इसका विरोध किया क्योंकि 1928 ई॰ में साण्डर्स की हत्या के आरोप में शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरू के मृत्यु दण्ड को इस समझौते से न रोका जा सका था । यद्यपि के॰ एम॰ मुन्शी आदि कुछ लोगों ने इसे भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना माना, किन्तु युवा वर्ग अत्यन्त क्षुब्ध था, तथा युवक संगठनों तथा युवक सम्मेलनों ने उसके विरु(अनेक प्रस्ताव पारित किए । मजदूर वर्ग ने भी इस समझौते का विरोध किस तथा बम्बई के मजदूर वर्ग ने तो गाँधीजी के विरु(प्रदर्शन किए । कम्युनिस्टों ने भी इस समझौते की कड़ी आलोचना की तथा मजदूर आन्दोलन को क्रान्तिकारी सि(न्तों पर आधारित करके सशक्त बनाने के लिए वे 1931 ई॰ में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस से अलग हो गए तथा **'रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस'** की स्थापना की । उल्लेखनीय बात यह है कि समझौते से यद्यपि सरकार को ही ज्यादा लाभ हुआ था, किन्तु इसके कारण वायसराय इरविन की इंग्लैड में आलोचना की गयी । महात्मा गाँधी ने इस समझौते को उचित ठहराया तथा कहा कि इसकी प्रमुख बात यह है कि इसमें पहली बार अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ समानता का व्यवहार किया । इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति की विजय थी, जिसने उस सरकार को जो कांग्रेस को समाप्त करने पर तुली थी, कांग्रेस के नेता क साथ समानता का व्यवहार करने के लिए विवश किया।[2]

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

गाँधी–इरविन समझौते में गाँधीजी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग लिए जाने का आश्वासन दिया गया । अतः 7 सितम्बर, 1931 ई॰ को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसके प्रारम्भ होने से पहले राजनीतिक स्थिति में कापफी परिवर्तन हो चुके थे । इंग्लैंड में मजदूर दलीय सरकार का पतन हो चुका था तथा मैक्डानैल्ड ने एक राष्ट्रीय सरकार बनायी थी । यह नाममात्रा के लिए ही राष्ट्रीय थी, क्योंकि इसमें अनुदान सदस्यों की संख्या अधिक होने तथा उनके प्रभावशाली होने के कारण वस्तुतः यह अनुदान सरकार के समान ही थी । नए भारत सचि सर सेमुअल होर भी अनुदान थे, अतः स्थिति भारत के और भी प्रतिकूल हो गयी । भारत के वायसराय भी बदल गए थे । इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का कार्य–भार संभाला था । वह इरविन की नीतियों व गाँधी–इरविन समझौते से सहमत न था, अतः भारत आते ही उसने इसका उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया तथा उसका उद्देश्य कांग्रेस की शक्ति को कुचलना था । गाँधीजी ने गाँधी–इरविन समझौते का सरकार द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अनेक बार वायसराय को पत्रा लिखे, किन्तु वायसराय पर कोई प्रभाव न पड़ा।[3]

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिकता का प्रश्न उभारने का प्रयत्न किया । इस सम्मेलन में भाग लने के लिए लार्ड इरविन ने पं॰ मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडु तथा डॉ॰ अंसारी को काग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया था, किन्तु बाद में सरकार ने पफजली हुसैन के इशारे पर डॉ॰ अन्सारी को भेजना स्वीकार न किया क्योंकि वह राष्ट्रवादी मुसलमान थे तथा उनकी उपस्थिति से मुस्लिम साम्प्रदायिकता कमजोर हो जाती । सरकार की उक्त नीति के कारण गाँधोजी ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से इन्कार कर दिया, बाद में वायसराय से पत्रा व्यवहार तथा गाँधी–इरविन समझौते को निभाना अपना कर्तव्य मानने के कारण गाँधीजी ने इंग्लैण्ड जाना स्वीकार किया तथा वह सम्मेलन प्रारम्भ होने के पाँच दिन बाद 12 सितम्बर, 1931 ई॰ को लन्दन पहुँचे । गाँधीजी इंग्लैण्ड में अपनी विशिष्ट वेश–भूषा में ही सबसे मिलते थे, जिससे इंग्लैण्ड की जनता उनसे अत्यन्त प्रभावित हुई । द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लगभग तीन माह तक चलता रहा, जिसमें महात्मा गाँधी ही प्रमुख वक्ता रहे । प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निर्धारित नीतियों की, गाँधीजी ने इस सम्मेलन में, समय–समय पर कटु आलोचना की । संघ व्यवस्था तथा उसके अन्तर्गत सरकार को रक्षा कवचों से युक्त करने और प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा वित्तीय नीति को संरक्षित विषयों के अन्तर्गत रखने की नीति का घोर विरोध करते हुए उन्होने कहा कि अपने देश की प्रतिरक्षा का दायित्व, भारत के सेनाएँ, स्वयं भारत की नीतियों के अनरूप उठा सकती हैं, न कि विदेशी साम्राज्यवादी सरकार तथा उनकी सेनाएँ । भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की व्याख्या करते हुए उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की अपेक्षा पूर्ण स्वराज्य को भारत तथा इंग्लैण्ड के मध्य मैत्री के सम्बन्ध में और अधिक श्रेयस्कर होना प्रमाणित किया । गाँधीजी ने भारत की गरिमा, प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान को उफंचा उठाते हुए कहा कि भारत इंग्लैंड के एक अधीन देश के रूप में यह वार्ता नहीं कर रहा हे । अपितु यह वार्ता दो समान स्थिति के राष्ट्रों के मध्य की है । इस सम्मेलन में कांग्रेस की स्थिति को भी स्पष्ट करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा कि यह अन्य राजनीतिक दलों के समान मात्रा एक राजनीतिक संस्था नहीं, अपितु यह सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है । यह धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी वर्ग–विशेष की संस्थ न होकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय संस्था है । 30 नवम्बर, 1931 ई॰ को उन्होंने अपने भाषण में कहा, फ्अन्य सब दल साम्प्रदायिक हैं, कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सबके हितों के प्रतिनिधित्व का दाबा कर सकती है । यह काई साम्प्रदायिक संस्था नहीं हैं, किसी भी रूप में चाहे साम्प्रदायिकता क्यों न हो परन्तु यह उसकी प्रमुख विरोधी है । कांग्रेस जाति, रंग और धर्म का भेद–भाव नहीं जानती, इसका प्लेटपफार्म सबके लिए खुला है । कांग्रेस ही केवल एक ऐसी संस्था है जिसका प्रभाव 70ए000 गाँवों पर है । कांग्रेस ही समस्त अल्पमतों का भी प्रतिनिधित्व करती है ।य इस सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने साम्प्रदायिक एकता कायम

करने के लिए सराहनीय प्रयास किए, अंग्रेजों की साम्प्रदायिकता बढ़ाने की चालों के आगे उन्हें सपफलता न मिल सकी । गाँधीजी ने मुस्लिम लीग के नताओं से वार्ता की किन्तु मुहम्मद अली जिन्ना अपनी चौदह–सूत्राी मांगों पर अड़े रहे । मुस्लिम लीग के अतिरिक्त अन्य वर्ग–हरिजन, हिन्दु, महासभा, सिक्ख आदि भी राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर साम्प्रदायिक हितों पर ज्यादा जोर दे रहे थे।[4] ब्रिटिश सरकार भी यह चाहती थी कि भारतीय साम्प्रदायिकता के विषय को लेकर उलझे रहें ताकि उन्हें शासन करने में सुविधा हो तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति भी निरन्तर पतन की ओर अग्रसर हो सके । अतः कांग्रेस के अतिरिक्त साम्प्रदायिक मामले को हल करने के लिए किसी अन्य के प्रयत्नों के अभाव में, यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रही । अतः ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि आपस में समझौता करने में असमर्थ रहे हैं, अतः सरकार ही कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी । इस समय भारत के कुछ भागों में बिगड़ती स्थिति की खबर सनकर गाँधीजी दिसम्बर, 1931 ई॰ में भारत वापस आ गए । भारत आगमन पर गाँधीजी का भव्य स्वागत किया गया, यद्यपि गाँधीजी खाली हाथ ही लौटे थे।

REFERENCES

1. *\ण्ब ठवेमए जीम प्दकपंद \जतनहहसमए च्ण् 275ण्*
2. *श्रपददी ;फनवजमक वितउ प्दकपं दृ त्मेजंजमउमदज इल ब्वनचसंदक*
3. *सस प्दकपं ब्वदहतमे त्मेवसनजपवदए श्रंद 26 ए1930*
4. *ज्ञमपजीए ।ण्ठए ब्वनेजपजनजपवदंस भ्पेजवतल वि प्दकपंद च्ण् 293.94ण्*